(Sr. 1(R))

(1)

आर टी आई मामला/समयबद्ध

स. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

3848/Dir(BM I)/2013
12/12

नई दिल्ली, दिनांक : 9/12/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शैलेन्द्र कुमार झा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री शैलेन्द्र कुमार झा के दिनांक 25/10 /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ ....से अंतरण द्वारा दिनांक: 29/10 /2013 को प्राप्त) को बी.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 7/11/2013 को रसीद सं. 27393 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं ~~किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से~~ संबंध रखता/रखती है।

1163

13/12/13

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (बी एम - I)
गृह मन्त्रालय, एन डी सी सी II भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

CMSNIH | BADP

~~US~~ (BM-

कृपया आलोकन करें
मसौदा बी०एम० विभाग से
सम्बन्ध है या नहीं ?

11/12/13 डि.डी.
विमल बिहारी
सहायक
कृपया कार्यवाई करें

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री शैलेन्द्र कुमार झा
ग्राम+पोस्ट = खुरुआ, वार्ड = नं. 6
थाना - प्रखंड = सुरसण्ड सेदपुर
जिला - सीतामढ़ी, बिहार - 843328

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

दूसरा भारतीय पोस्टल आर्डर नं० 18F-400589 रु० 10/= आप को वापिस किया जा रहा है। क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत फीस केवल रु० 10/= है।

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 27393 — दिनांक / Dated 07/11/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. शैलेन्द्र कुमार झा

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक / Dated .... 20......

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. DD Kunshi

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

रूपये / *Rs.* ________

पदनाम / Designation

सेवा में,

माननीय श्री वी० के राजन
उप सचिव (स्थापना)
सूचना पदाधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

Special Cell
187929
29/10/13

29 OCT 2013
RECEIVED
Home Minister's Office

(3)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री शैलेन्द्र कुमार झा द्वारा मांगी गई सूचना।

प्रसंग : पत्रांक - एच० ए० - 43020/01/2013 आर० टी० आई० भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली का दिनांक - 29-09-2013

7215/RTI/2013
6/12/13

महाशय,

प्रसांगिक पत्र के निर्देशित आदेश के आलोक में आवश्यक सुधारोपरान्त भारतीय पोस्टल आर्डर उक्त लोक पदाधिकारी के लेखाधिकारी के नाम वांछित सूचना पाने हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न की जाती है, साथ ही साथ वांछित प्रति हो तो उस के भी शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर अभिप्रमाणित प्रति पाने हेतु संलग्न की जाती है। इस सन्दर्भ में निदेशक प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 3 इर्ला रोड विलेपार्ले (पश्चिम) मुम्बई - 400056 का पत्रांक - प्रमंरोसृका/आर टी आई/2013-14/578 दिनांक - 10-10-2013 की छाया प्रति आवश्यक प्रसंगार्थ संलग्न की जाती है।

अतः निवेदित सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

JS(A)

Asstt. P.S. to Home Minister
Govt. of India
New Delhi
30/x/13

DS(E)

31/X/13

US RTI

SO(RTI)
31/10

अनुलग्नक :
(1) उपरोक्तानुसार
(2) भारतीय पोस्टल आर्डर दो जिसका संख्या - (i) 18F 400560
(ii) 18F 400587

विश्वास भाजन
Shailendra Kumar Jha
25-10-2013

(शैलेन्द्र कुमार झा)
ग्राम + पोस्ट - धरमपुर, वार्ड - 7
थाना + प्रखंड - पुपरी सैदपुर
जिला → सीतामढ़ी
राज्य → बिहार
पीन कोड न० → 843328
मो० न० → 8051308226

BM Div.

(5)

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 29/9/2013

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शैलेन्द्र कुमार झा द्वारा मांगी गई सूचना

****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 16/9/2013 के आवेदन का संदर्भ लें जो दिनांक 18/8/2013 को इस मंत्रालय में/(..................................) से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली के अनुसार; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुरोध के साथ दस रूपए का आवेदन शुल्क, समुचित रसीद के जरिए नगद रूप में अथवा उस लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लगा होना चाहिए जिससे सूचना मांगी जा रही है।

2. आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं:-

(i) 10/- रूपए का शुल्क नहीं भेजा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर, सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।

(ii) शुल्क का भुगतान/प्रेषण न्यायालय शुल्क स्टाम्प/गैर-न्यायिक पेपर/एकाउन्ट पेयी चेक/पोस्टेज स्टाम्प/(ओं) के रूप में किया गया है जो अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतान का वैध तरीका नहीं है।

(iii) ..../-रूपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर भेजा गया है, जो अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित शुल्क नहीं है।

(iv) भेजा गया डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर सही प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" को देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, आपका आर टी आई आवेदन 10/- रूपए के भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/गैर-न्यायिक पेपर/न्यायालयी शुल्क स्टाम्प (संख्या 18E 400591) के साथ वापस किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

वी. के. राजन

(वी.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री शैलेन्द्र कुमार झा

ग्राम+पो० - थुम्मा, थाना-प्रखण्ड- रुन्नी सैदपुर

जिला - सीतामढ़ी

बिहार - 843328

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
3 ईर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056

क्र.प्रमंरोसृका/आरटीआई/2013-14/575 दिनांक : 10.10.2013

प्रति,
केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई - 56

विषय :सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री शलैंद्र कुमार झा, ग्रा.पो. थुम्मा, जिला-सीतामढी -843328 (बिहार) द्वारा मांगी गयी जानकारी के संबंध में !

संदर्भ:पत्र:क्र.पीआईसी/आरटीआईएक्ट-05/शै.कु.झा/2408/13-14/849 दिनांक 08.10.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त पत्र दिनांक 08.10.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से श्री शलैंद्र कुमार झा, ग्रा.पो. थुम्मा, जिला-सीतामढी -843328 (बिहार) का आवेदन पत्र द्वारा मांगी गयी जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया है। जिसकी इस निदेशालय से संबंधित जानकारी निम्ननुसार है।

क्र	श्री शलैंद्र कुमार झा, (बिहार) के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी जानकारी।	चाही गयी सूचनाओं के आधार पर जवाब
1	बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सीतामढी जिला को सीमावर्ती जिला के रुप में अधिसूचित किया गया है अथवा नही।	बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सीतामढी जिला को सीमावर्ती [illegible] के रुप में अधिसू[illegible] अथवा नही इसकी जानकारी इस निदेशालय से संबंधित नही है। कृपया जानकारी हेतु संबंधित विभागसे संपर्क करें सकते है।

भवदीय,
10/10/13
निदेशक (प्रमंरोसृका)

प्रतिलिपी : 1. राज्य निदेशक , खादी और ग्रामोद्योग आयोग बिहार के सुचनार्थ ।

(2) ⑥

सेवा में,

माननीय श्री सुशील कुमार शिन्दे
गृह मंत्री
गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

18 AUG 2013 RECEIVED

16759 18/9/13

विषय! बिहार राज्य के अन्तर्गत अवस्थित सीतामढ़ी जिला को सीमावर्ती जिला के रूप में अधिसूचित किया गया है, अथवा नहीं।

BY SPEED POST

प्रसंग! उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय शेखपुरा पटना-14 का पत्रांक - डी.बी./पीएमईजीपी/सीतामढ़ी/2013-14 दिनांक - 25-06-2013, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सीतामढ़ी का पत्रांक - 386 दिनांक - 21-06-2013 एवं जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी का पत्रांक - 1391 दिनांक - 10-09-2013

महाशय,

अनुलग्न पत्रों की ओर श्रीमान का नीजि ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, तथा अपेक्षा है कि सीतामढ़ी जिला को गृह मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती जिला के रूप में अगर अधिसूचित किया गया हो तो तद् संबंधी अधिसूचना की सच्ची प्रति उपलब्ध कराने की अनुकंपा की जाय, क्योंकि जिला स्थित जिलाधिकारी द्वारा भी इस सन्दर्भ में अनभिज्ञता व्यक्त की गई है।

अतः अपने स्तर से अविलम्ब कारवाई कर जिलाधिकारी सीतामढ़ी तथा मुझे अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

1. अनुलग्नक
1. यथा उपरोक्त
2. सूचना के अधिकार (प्रपत्र)

विश्वास भाजन
Shailendra Kumar Jha
16-09-2013
(शैलेन्द्र कुमार झा)
ग्रा० + पो०-कुम्मा, वार्ड नं. 6
थाना + प्रखंड - सन्नीसैदपुर
जिला - सीतामढ़ी
राज्य → बिहार
पीन कोड - ...

Fee clause

JS(A)

Addl. P.S. to Home Minister
Govt. of India
New Delhi

20/9/13

DS(E)

03/10

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA
राज्य कार्यालय, पो0 बी.भी.कॉलेज, शेखपुरा, पटना–14.
STATE OFFICE, PO: B.V.COLLEGE, SHEIKHPURA, PATNA-14.
दूरभाष (Tel.) : 2228010 & 2224983 वेब (Web.) : www.kvic.org.in
फैक्स (Fax) : 0612-2228010 ई–मेल (E-mail): kvicpatna@gmail.com

सत्यमेव जयते

(7)

पत्रांकः–डी.बी. / पीएमईजीपी / सीतामढ़ी / 2013–14 दिनांकः–25.06.2013

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जिला समाहरणालय,
सीतामढ़ी (बिहार)।

विषय : सीमावर्ती क्षेत्र की जानकारी के सम्बन्ध में ।

महाशय,

भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को भारत सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है। जिसमें आवेदक / ऋणी को अनुदान राशि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से दिया जाता है।

उक्त के आलोक में मुम्बई से प्राप्त पत्र एवं परियोजना से संबंधित मार्गदर्शिका जानकारी हेतु संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि सीतामढ़ी जिला को सीमावर्ती क्षेत्र के लाभ के लिए सरकारी मानकों के हिसाब से यदि अधिसूचना घोषित किया गया है तो उसकी प्रति जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी एवं उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे श्री शैलेन्द्र कुमार झा, ग्राम–पो. थुम्मा, जिला सीतामढ़ी को इसकी समुचित जानकारी दिया जा सके।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र)

प्रतिलिपि :–

1694

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
2. श्री शैलेन्द्र कुमार झा, ग्राम–पो0 थुम्मा, थाना–प्रखण्ड रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी, को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
3. निदेशक (पीएमईजीपी), खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई–56 को पत्रांक–प्र.मं.रो.सृ.का. / सामान्य पत्राचार / नीति / 2011–12 / 963 दि. 30.01.12 / 03.02.12 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि बिहार राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र)

C:\Users\HCL\Desktop\All Folder & File\Letter Head (H).doc

(8)

कार्यालय महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी ।

पत्रांक 386 /   जि०उ०के०, सीतामढ़ी, दिनांक 21-06-13

प्रेषक,

महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी ।

सेवा में,

निबन्धित ।

श्री शैलेन्द्र कुमार झा,
ग्राम-पोस्ट- थुम्मा, थाना-पु०-रून्नी सैदपुर,
जिला सीतामढ़ी ।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना का व्योरा आपका आवेदन दिनांक 03-06-13.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक 03-06-13 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना जो पी. एम. ई. जी. पी. अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग के निवासियों को सीमावर्ती क्षेत्र के लाभ से सम्बन्धित है, के संबंध में कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में इस जिला को माना गया है या नहीं इसकी सूचना कार्यालय के पास नहीं है। इसकी सूचना आप के०वी०आई० सी, शेखपुरा, पटना से प्राप्त करें ।

विश्वासभाजन,
ह० 20/6/13
महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी

समाहरणालय, सीतामढ़ी
(सामान्य प्रशाखा)

ज्ञापांक- 1391 /जि०सा०
सीतामढ़ी, दिनांक- 10.5.13

प्रेषित,

श्री शैलेन्द्र कुमार झा,
ग्राम + पो० = थुम्मा,
थाना- रून्नीसैदपुर,
जिला- सीतामढ़ी ।

विषय :- सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सीतामढ़ी जिला को सीमावर्त्ती जिला घोषित करने संबंधी भारत सरकार की अधिसूचना इस प्रशाखा में उपलब्ध नहीं है ।

अतः सूचना देना संभव नहीं है ।

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
सीतामढ़ी ।

की प्राप्ति ... नहीं)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

(10)

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे
(विभाग/कार्यालय) गृह मंत्री, भारत सरकार
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, या सम्बद्ध लोक सूचना पदाधिकारी
गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।

1. आवेदक का नाम शैलेन्द्र कुमार झा पिता स्व० देवीकान्त झा
2. पूरा पता ग्रा०+पो०-धुम्मा, थाना+प्रखंड-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी राज्य-बिहार (भारत) पीन कोड नं०-843328, मो०8051308226
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)
बिहार राज्य के अन्तर्गत अवस्थित सीतामढ़ी जिला को सीमावर्ती जिला के रूप में अधिसूचित किया गया है, अथवा नहीं।
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने 10 रुपये (शब्दों में) दस रुपये का पोस्टल आर्डर तिथि 22-04-2013 को रसीद सं० 18F—400591 भारतीय डाक विभाग, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी (बिहार) से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।
   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० ...... दिनांक ...... जो ...... पदाधिकारी के पक्ष में ...... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
   (3) मैंने ...... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है।
   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :
शैलेन्द्र कुमार झा
ग्रा०+पो०-धुम्मा, थाना+प्रखंड-रुन्नी सैदपुर
जिला-सीतामढ़ी बिहार, पीन कोड नं०-843328

Shailendra Kumar Jha
आवेदक का हस्ताक्षर 16-09-2013
ई-मेल पता, अगर कोई हो;
दूरभाष संख्या-8051308226

स्थान : धुम्मा तिथि : 16-09-2013

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

आवेदन की प्राप्ति-रसीद

प्रपत्र 'ख' (नियम 3 (1) देखें)

प्रेषक :

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

....

....

आई० डी० सं० .... तिथि ....

1. सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के नियम 3 के उप नियम (1) के अंतर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन दिनांक .... श्री/श्रीमती/कुमारी .... ग्राम .... जिला .... से प्राप्त किया ।
2. सूचना तीस दिन के अन्दर दी जाएगी । अगर यह पाया जाता है कि याचित सूचना देना संभव नहीं है, तो उसका कारण दिखाते हुए अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाएगा ।
3. आवेदक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी से दिनांक .... (यहाँ तिथि का उल्लेख करें जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की न हो) को संपर्क करें ।
4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिए जवाबदेह नहीं होगा ।
5. सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के पूर्व अगर कोई राशि, फीस अथवा शुल्क देय है तो आवेदक को जमा करना होगा ।

लोक सूचना पदाधिकारी :
विभाग/कार्यालय का नाम :

दूरभाष संख्या :
ई-मेल : ....
वेब साईट :

आवेदन की प्राप्ति-रसीद

प्रेषक :

अपीलीय प्राधिकार
विभाग/कार्यालय

....

....

पता ....

....

आई० डी० सं० .... दिनांक ....

1. श्री ....

निवासी ....

....

मे बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के नियम 6 के उप नियम (1) के द्वारा विहित प्रपत्र 'छ' में एक अपील आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करनेवाले सहायक का हस्ताक्षर
अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय :
....
....

दूरभाष संख्या :
ई-मेल :
वेब साईट :

स्पीड पोस्ट

जारी किया
ISSUED
18 DEC 2013
...इति/Initio...
...MHA...C-II

फा.सं.11/5/2013-बीएडीपी/-
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
बी.ए.डी.पी अनुभाग
+++++

एन.डी.सी.सी.-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली.
दिनांक 17 दिसम्बर, 2013.

18 DEC 2013

सेवा में,
श्री शैलेन्द्र कुमार झा,
ग्राम+पोस्ट- थुम्मा, वार्ड नं0- 6,
थाना- प्रखण्ड- सन्नी सैदपुर,
जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843328

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री शैलेन्द्र कुमार झा द्वारा मांगी गयी जानकारी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 16.09.2013 एवं 25.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस विभाग को गृह मंत्रालय के आर.टी.आई. विभाग द्वारा 11 दिसम्बर 2013 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से संबंधित जानकारी मांगी है।

2. इस विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए ग्राम /प्रखण्ड/जिले में विकास करना है। इसी क्रम में बिहार राज्य के सात जिलों में चौंतीस (34) प्रखण्ड (जिनमें जिला सीतामढ़ी भी एक है), नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन प्रखण्डों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास हेतू सीमावर्ती प्रखण्ड के चयन का आधार उस ब्लॉक द्वारा पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाना है। वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के छः (6) प्रखण्डों (बैरगनिया, मेजरगंज, परिहार, सोनबरसा, सुरसंड, सुप्पी) में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. नये जिलों का सृजन करना, जिलों का नामकरण करना एवं जिलों की सीमाएं निर्धारित करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीमा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती जिलों के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

17/12 (रईस अहमद)
निदेशक
भारत सरकार
दूरभाष: 23438131

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रेषित

1.श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर.टी.आई. सेल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

17/12 (रईस अहमद)
निदेशक
भारत सरकार
दूरभाष: 23438131